सं. 8(18)2010-संस्था-II(क)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक

नई दिल्ली, दिनांक 28.3.2011

# कार्यालय ज्ञापन

**विषय: सरकारी अथवा सरकारी नियंत्रण वाले सांविधिक निकायों से संबंधित भूमि की बिक्री अथवा दीर्घकाल के लिए उसे पट्टे पर देने के प्रत्येक मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति।**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 25 जून, 2010 के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ लेने, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (जीएफआर) के नियम 28 और 278 के उपबंधों को दोहराने तथा सरकारी आस्तियों अथवा संसाधनों अथवा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा सरकारी निधि से सृजित आस्तियों/संसाधनों की बिक्री/अनुदान/समनुदेशन/आबंटन/निपटान हेतु वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय ने दिनांक 21.03.2011 के अ.शा.पत्र सं. 511/2/1/2010-सीए-II के द्वारा सूचित किया है कि सरकारी/सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं के अधिकार और नियंत्रणाधीन भूमि को बिक्री पट्टा और/अथवा अनुज्ञापत्र जैसे माध्यमों के जरिए बिक्री किए जाने के दृष्टांत सरकार की जानकारी में आए हैं। यह देखा गया है कि भूमि के मूल्य विशेषकर पिछले एक अथवा दो दशकों के दौरान अत्यधिक बढ़ गए हैं। इस संदर्भ में, मंत्रिमंडल सचिवालय ने सूचित किया है कि सरकारी अथवा सांविधिक प्राधिकरणों आदि द्वारा धारित भूमि के हस्तांतरण अथवा बिक्री के संबंध में सरकार द्वारा एक नीति बनाई जा रही है और प्रधान मंत्री ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है कि इसी दौरान सभी मंत्रालय/विभाग सरकारी अथवा सरकारी नियंत्रण वाले सांविधिक प्राधिकरणों से संबंधित भूमि की बिक्री अथवा उसे दीर्घकाल के लिए पट्टे पर देने के प्रत्येक मामले में मंत्रिमंडल की विशिष्ट अनुमति लेंगे।

3. इस विभाग के 25 जून, 2010 के उपर्युक्त का.ज्ञा. के उपबंध तदनुसार इस सीमा तक संशोधित हो जाएंगे कि सरकारी अथवा सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरणों से संबंधित भूमि की बिक्री अथवा उसे दीर्घकाल के लिए पट्टे पर देने के प्रत्येक मामले में मंत्रिमंडल की विशिष्ट अनुमति ली जाएगी।

4. इन प्रावधानों को नोट किया जाए तथा इन्हें स्वायत्तशासी निकायों के शीर्षों सहित सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए, ताकि इनका सख्ती से अनुपालन किया जा सके।

5. इसे वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

( आर. प्रेम आनंद )

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

सभी वित्तीय सलाहकार।

प्रति: सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.03.2011 के अ.शा.पत्र सं. 511/2/1/2010-सीए-II के संदर्भ में सूचनार्थ।